

मध्य रेल



मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय,
कार्मिक शाखा, सोलापूर
दि -02.09.2020

संख्या -सोला/का/भर्ती/च.श्रेणी/आरआरसी/मुंबई

कार्यालय आदेश स. 363 /2020.

विषय :- रेल भर्ती सेल मुंबई, E.No.02/2018 द्वारा चयन होने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में पीबी 1/लेवल 1 पर (Level-I) निर्धारित वेतनमान रु.18000/- पर निम्न-उम्मीदवार TM-IV पद की नियुक्ती करना।

Ref:- i) Chair.(RRC)'s Lr.No. P/CR/HQ/RRC/CEN/02/2018/VII -DATE:-28.02.2020.

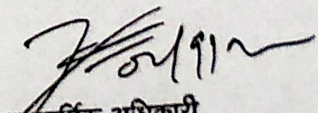
इस कार्यालय के अनुलग्न में बताए गये मुख्य कार्मिक अधिकारी/ आरआरसी/मुंबई के दिनांक 28.02.2020 पत्र द्वारा सूचित उम्मीदवार को वर्तमान रिक्ती में उसके नाम के भागे बताए गए विभाग/ तथा ग्रेड पे में आरआरसी/मुंबई द्वारा चयनित होने के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में नियुक्ती के लिये सक्षम अधिकारी ने मंजूरी प्रदान की है। उनकी नियुक्ती और तैनाती निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है।

1. उनके चरित्र एवं पूर्वव्रत तथा अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन।
2. उनकी नियुक्ती अस्थायी तौर पर होगी और कोई भी कारण बताए बिना उनको नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कि जा सकती है।
3. वे भारत सरकार और मध्य रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अस्थाई कर्मचारियों को लागू होने वाले नियम और विनियम द्वारा शासित होंगे।
4. वह उम्मीदवार दिनांक 01.01.2004 से लागू नये पेन्शन नियमों से शासित होंगे तथा उम्मीदवार कार्यपर तैनात होने पर उनसे तीन प्रतियों में PRAN (प्राण) फार्म भर लिया / लेना अनिवार्य है। इसलिए उन्हें जोईनिंग रिपोर्ट के साथ कार्यालयीन कामकाज के दिन उपस्थिति के लिए सूचित किया जाता है।

उन्होंने भारतीय संविधान कि निष्ठा की प्राथमिक शपथ लेने के पश्चात तथा नियुक्ती के लिए उन्हें डीपो में रिपोर्ट करने के किये इस कार्यालय द्वारा जारी वाहक पत्र दिया जाएगा और वाहकपत्र कर्मचारी का सत्यापित फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर होगा और उनका साक्षात्कन फार्म चरित्र प्रमाणपत्र के साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पोलिस जाँच करवा लेना अनिवार्य है।

मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच आर पी) मुंबई के दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्राप्त उम्मीदवार की आवेदन पत्र की कार्मिक निरीक्षक द्वारा दुबारा सभी उपलब्ध कागजातों कि जाच पडताल करने के पश्चात सलंगन सुचि के अ.न.01 उम्मीदवार, को चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में वेतनमान रु. PC-7 Level-I Pay 18000/- में सातवा वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान पर नियुक्ती किया गया है। अ.न.01 का उम्मीदवार अनुसूचित जन जाती से है लेकीन UR के वर्ग पर चयन हुआ है। ओबीसी / अनुसूचित जाती के उम्मीदवार को उनके कागजातों को सत्यापित करणे के पश्चात अनुसूचित जाती/जनजाती/ ओबीसी कोटेपर नियुक्ती दि जाती है। उनकी नियुक्ती अनन्तीम है बशर्त उनके अनुसूचित जाती/जनजाती/ ओबीसी के प्रमाणपत्रों के उचित मध्यमों द्वारा सत्यापण किये जाने पार है, यदी सत्यापन के समय यह प्रकट हुआ कि जैसा भी मामला हो अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ओबीसी के होने का दावा गलत है तो कोई कारण दिये बिना तुरंत सेवा समाप्त कि जायेगी और पूर्व धारणा बिना गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत के लिये भारतीय पनेल कोड के प्रावधानों के अधीन आगे कि कार्यवाही कि जाएगी।

निम्न उम्मीदवार को रेल्वे बोर्ड के दि 18.12.2017 पत्र संख्या इ/एन जी(II/2016/आर आर-1/12)3192238 (के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का पुनःरिक्षण करते हुये बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया है की आपन मार्केट सभी माध्यम से सिविल इंजिनरिंग, यांत्रिक, विद्युत और सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में सातवे वेतन आयोग हाल ही का ग्रेड 18000/-) के पे मट्रिक्स के लेवल-1 में कर्मचारियों के भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10वीं उत्तीर्ण होगी और उन्हें छ माह तक जॉब ट्रेनिंग देकर विशेष तौरपर तैनाती कर दि है।


कार्मिक अधिकारी
Assistant Personnel Officer
मध्य रेल, सोलापूर
Central Railway, Solapur.



2 -

विषय :- रेल भर्ती सेल मुंबई, E.No.02/2018 द्वारा चयन होने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी (Erst.Gr.D) में पीबी 1/लेवल 1 पर (Level-1) निर्धारित वेतनमान रु.18000/- पर निम्न-उम्मीदवार TM-IV पद की नियुक्ती करना ।

Sr. No.	Registration No	Name of the candidate	Communit y /caste	Against communi ty	DOB	Posted under ADEN
1	2481335839	SHIVPRASAD GANGADHAR GAROLE(TM-IV)	ST	UR	22.08.1997	ADEN/KLBG

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

[Handwritten Signature]

सहायक कार्मिक अधिकारी

कृते मंडल सहायक (नियंत्रण) ऑफिसर

मध्य रेल, सोलापुर
Central Railway, Solapur.

प्रती :- वरि मं वित्त प्र सोलापुर वरि मं इंजीनियर(मं) सोलापुर को सूचनायें
प्रती :- मुख्य का अ/ का/ स्केल चेक कर्मचारी सहायता सेल, सोलापुर को सूचनायें
प्रती :- सहायक मंडल इंजी/कलबुर्गी को सूचनायें ।

उम्मीदवार कि अगली तैनाती तथा उन्हें छ माह तक जॉब ट्रेनिंग /प्रशिक्षण विशेष तौरपर करने का प्रबंध करे।
RRB LETTER NO 172/2010(COPY ENCL)के अनुसार उम्मीदवारों को 24 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है । अतः उम्मीदवारों की कार्य पर तैनाती निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद ही की जाय ।

संलग्न:- DA



सहायक कार्मिक अधिकारी
Assistant Personnel Officer

मध्य रेल, सोलापुर
Central Railway, Solapur.



[Handwritten Signature]